

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.17(16)नविवि/नियम/2021

जयपुर, दिनांक:- 02 जून, 2021

-: आदेश:-

वर्तमान में कोविड-19 महामारी के दौरान मेडिकल सुविधाओं को और सुदृढ किये जाने एवं भविष्य में आपदा की स्थिति में राज्य में आमजन हेतु उचित मेडिकल सुविधा/संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चिकित्सा क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है। चिकित्सा सुविधाएं विकसित किए जाने में निजी/सार्वजनिक क्षेत्रों को निवेश हेतु प्रोत्साहित किये जाने बाबत मेडिकल सेक्टर के अंतर्गत मेडिकल संस्थान यथा मल्टी-स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, क्लीनिक, डिस्पेंसरी आदि हेतु (एलोपैथी/आयुर्वेद/प्राकृतिक/होम्योपैथी/यूनानी चिकित्सा क्षेत्रों इत्यादि में) राज्य सरकार द्वारा निम्न प्रकार के प्रकरणों छूट देय होगी :-

- I. वर्तमान में संचालित चिकित्सा संस्थानों (मेडिकल कॉलेज/चिकित्सालयों) के विस्तार के प्रकरण।
- II. कृषि/अकृषि भूमि, निजी/राजकीय भूमि पर चिकित्सा सुविधाओं हेतु नव प्रस्तावित परियोजनाएं स्थापित किए जाने के प्रस्ताव।
- III. गैर आवासीय प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि अथवा विद्यमान भवन का चिकित्सा सुविधाएं विकसित किये जाने बाबत आंशिक अथवा पूर्ण रूप से उपयोग।
- IV. सामाजिक सुविधाएं विकसित किए जाने हेतु रियायती दर पर आवंटित भूमि पर चिकित्सा सुविधाएं विकसित किये जाने के प्रकरण राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से अनुमत होंगे।

राज्य सरकार के स्तर से निम्न छूट/शिथिलताएं व्यापक जनहित में प्रदान की जाती हैं :-

1. मेडिकल सेक्टर के अन्तर्गत आने वाली गतिविधियों को व्यापक जनहित के अन्तर्गत मानते हुए मास्टर प्लान के समस्त भू-उपयोगो (ईकोलॉजिकल/ईको-सेंसिटिव/पार्क, खुले स्थल इत्यादि को छोड़कर) में अनुज्ञेय उपयोग की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है एवं इन भू-उपयोगों में स्थित कृषि/अकृषिक भूमि पर अनुज्ञेय की जा सकेगी।
2. विद्यमान आवासीय योजनाओं में चिकित्सा सुविधाएं पूर्व में अकृषि प्रयोजनार्थ स्वीकृत एकल पट्टा प्रकरणों, गैर आवासीय भूखण्डों/भवनों एवं विद्यमान आवासीय योजना के ऐसे क्षेत्र जिनका मास्टर प्लान में भू-उपयोग वाणिज्यिक/मिश्रित/संस्थानिक दर्शाया गया है पर ही देय होंगी।
3. चिकित्सा सुविधाओं हेतु भू-उपयोग परिवर्तन में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाती है।
4. चिकित्सा सुविधाओं हेतु भूमि रूपान्तरण बाबत प्रीमियम राशि एवं लीज राशि में छूट के संबंध में पृथक से अधिसूचना जारी की जा रही है।
5. उपरोक्तानुसार छूटें निम्न शर्तों के अधीन प्रदत्त की जायेंगी:-
  - i. चिकित्सा सुविधाओं हेतु प्रस्तावित नये प्रोजेक्ट अथवा विद्यमान संस्थानों के विस्तार के प्रकरणों में यदि विकासकर्ता/संस्था द्वारा उपरोक्त किसी भी मद में पूर्व में राशि जमा करवाई जा चुकी है तो ऐसी राशि लौटाई नहीं जावेगी।

- ii. उक्त चिकित्सा संस्थानों की स्थापना/विस्तार के प्रस्ताव स्थानीय निकाय में दिनांक 31.03.2022 तक प्रस्तुत किये जावे एवं परियोजना का कार्य दिसम्बर, 2025 तक पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा उपरोक्त वर्णित छूट/शिथिलता हेतु देय शुल्क ब्याज सहित जमा कराया जाना होगा।
  - iii. चिकित्सालयों द्वारा राज्य सरकार की मुख्यमंत्री चिरजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ आम नागरिकों को दिया जाना अनिवार्य होगा।
  - iv. अनुमोदन हेतु प्राप्त ऐसे प्रस्तावों का क्षेत्र विशेष की आवश्यकता के अनुरूप सुविधाओं का आंकलन यथा न्यूनतम/अधिकतम क्षेत्रफल एवं तकनीकी परीक्षण संबंधित जोनल वरिष्ठ नगर नियोजक/प्राधिकरण एवं न्यास में पदस्थापित वरिष्ठतम नगर नियोजक से करवाया जाकर तकनीकी राय प्राप्त किया जाना होगा।
6. उक्त उल्लेखित शिथिलताओं में अवधि विस्तार एवं उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रचलित प्रावधानों में यदि छूट/शिथिलता अपेक्षित है तो इस संबंध में प्रकरण विशेष में गुणावगुण के आधार पर राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात् दी जा सकेगी।

उक्त आदेश विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 31.05.2021 के अधिक्रमण में जारी किए जाते हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,

<sup>३०</sup>  
(मनीष गोयल)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नविवि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नविवि।
7. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
8. सचिव, समस्त नगर विकास, न्यास।
9. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नविवि, जयपुर।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम